Institution of India, ish translation of

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग 刊0- /XXVII(8)/111(120)(07)/2009 दिनांकः: देहरादूनः: 27 फरवरी, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक \$:-

अतएवं, अबं, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपिटत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संशोधन

अनुसूची—॥(ख) में क्रमांक 137 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात:-

"138. (अ) रोड रौलर, **पेव**र फिनिशर्स, कम्पैक्टर्स, रोड स्वीपर्स, बिटूमिन प्रैशर डिस्ट्रीब्यूटर्स, पौटहोल रिपेयरिंग मशीन्स, ड्रम मिक्स प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, अर्थ मूवर्स तथा एक्सकरेटर्स, ड्रिलिंग तथा माइनिंग मशीनरी, एयर कम्प्रैशर्स, जैक हैमर्स, वैगन ड्रिल्स तथा उनके पूर्जे।

(ब) यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल्स, ओएचई मेन्टीनेन्स कार, रेल-कम-रोड व्हीकल्स, बलास्ट टैम्पिंग मशीन्स, रेल ग्राइन्डिंग मशीन्स, ट्रैक रिन्यूवल ट्रेन्स तथा उनके पूर्जे"

> (आलोक कुमार जैन) प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0.142/XXVII(8)/111(120)/07 /2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें। 2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अ**नुरोध सहित** कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3—गार्ड फाईल **हेतु/**एन०आई०सी०।

कुंद शिक्तमध्ये कार्य

मंबर आयुक्त कर उपापित गंडसद्न

New Vigayapti/ Road Railway Track/DT

आज्ञा से

अपर सचिव वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.-142/XXVII(8)/111(120)/07/2009 dated 27February, 2009 for general information.

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-II (B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

Amendment

In Schedule-II(B), after the existing entry at serial no. 137, the following entry shall be added; namely:-

- "138. (a) Road Roller, Paver Finishers, compactors, Road Sweepers, Bitumen Pressure Distributors, Pothole Repairing Machines, Drum Mix Plant, Hot Mix Plant, Earth movers and excarators, Drilling and mining machinery, Air compressors, Jack hammers, Wagon Drills and parts thereof.
- (b) Utility Track Vehicles, OHE Maintenance Cars, Rail-cum-Road Vehicles, Ballast Tamping Machines, Rail Grinding Machines, Track Renewal Trains and parts thereof"

(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.